FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0157 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 31/07/2024 18:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/07/2024 Date To (दिनांक तक): 29/07/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 15:08 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/07/2024 Time (समय): 16:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 31/07/2024 18:41:48 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): KARYALYA JAL SANSHADHAN VIBHAG, KHAND UDAIPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURENDRA BEDA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATNARAM BEDA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BEDA KA BAAS, MERATA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BEDA KA BAAS, MERATA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GANPAT SHARMA		पिता:CHATRU LAL SHARMA	1. CHAKBHAJUPURA,BASSI,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	GAJENDRA SINGH		पिता:UNKAR SINGH	1. 2/2,RAJKIYE AAWAS,DEWALI,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 18-07-2024 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर ब्यूरो चैकी इन्टें उदयपुर पर परिवादी सुरेन्द्र बेडा पुत्र श्री रतनाराम बेडा निवासी बेडा का बास ग्राम पोस्ट पुंदलू तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मैं प्रार्थी सुरेन्द्र बेडा पुत्र श्री रतनाराम बेडा निवासी बेडा का बास ग्राम पोस्ट पुंदलू तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर का निवासी हू। मैं प्रार्थी रजिस्टर्ड ठेकेदार हू तथा जल संसाधन खण्ड उदयपुर द्वारा उसके अधिनस्थ छः माह वर्षा ऋ्तु एवं नहर संचालन हेतु दो कार्य जिसमें प्रथम कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (नगर निगम) निट नम्बर 03/2024 एवं दूसरा कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (यू.डी.ए.) निट नम्बर 03/2024 के लिये आन लाईन निविदा आमन्त्रित की गई जिस पर मेरे द्वारा मेरी फर्म के नाम से उक्त दोनों कार्यो के लिये टेण्डर की न्यूनत दर अंकित कर आनलाईन आवेदन किया गया था। जिसके पश्चात् मेरी फर्म मैसर्स अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स के नाम से उक्त दोनों कार्यों का टेण्डर हुआ जिसके पश्चात् मेरे द्वारा जल संसाधन खण्ड उदयपुर में जाकर उक्त दोनों कार्यो के लिये कार्यादेश लेने हेतु श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता से जाकर करीब दस-बारह दिन पहले मिला तो उन्होने मेरे को कहा कि आपको यदि कार्यादेश लेना है और काम करना है तो अभी नब्बे हजार रूपये देने पड़ेंगे इस पर मेरे द्वारा काफी हाथ जोड़ी की तो पच्चास हजार रूपये के लिये सहमत हुए। तथा कहा कि मैने अभी काम भी प्रारम्भ नही किया है तथा मेरे पास अभी पैसे देने की गुंजाईश नही है। फिर भी श्री गणपत शर्मा अशिशाषी अभियन्ता ने कहा कि कार्यादेश जारी करने हेतु आगे के लिये काम करने हेतु पच्चास हजार रूपये मेरे कार्यालय में पदस्थापित श्री गजेन्द्र जी बाबु जी को देना। उसके कुछ समय बाद ही श्री गजेन्द्र जी बाबु जी भी वहां पर आ गये तथा श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता ने श्री गजेन्द्र जी को मेरे से पच्चास रूपये लेने हेतु कहा था। जिस पर मैंने कहा कि अभी मेरे पास रूपये की व्यवस्था नही है तथा मेरे पास जैसे ही रूपये की व्यवस्था होती है मैं वापस आकर मिलुंगा। श्रीमान् से निवेदन है कि मैं मेरे जायज काम के लिये श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र जी बाबुजी को रिश्वत रिश्वत राशि नही देना चाहता हू तथा उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहूता हू तथा मेरी उनसे कोई पुरानी लेन-देन बाकीयात नही तथा ना ही कोई रंजिष है। कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु रिपोर्ट पेश है। "मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफत की गई तो उसने बताया कि मेरी फर्म अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स के नाम से कार्यालय अधिशाषी अभिन्यता जल संसाधन खण्ड उदयपुर द्वारा जारी निविदा में से दो कार्या के टेण्डर हो चूके है परन्तु उक्त दोनों कामों के कार्यादिश जारी करने हेतु श्री गणपतलाल अधिशाषी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र जी बाबु जी दोनो ही पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा बताया की उक्त दोनो ही बहुत ही भ्रष्ट है तथा बिना रिश्वत राशि लिये कोई भी काम नही करते है। तत्पष्चात् समय करीब 1.05 पी.एम. पर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड को श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक से मंगवाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया तथा श्री दलपतसिंह कनि0 सहायक व परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से परिचय करवाया गया तथा श्री दलपतसिंह कनि0 सहायक को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत दी, साथ ही सदिग्धगण व्यक्तियों की आम शोहरत की जानकारी भी लाने की हिदायत दी तथा यह भी हिदायत दी कि बाद सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कायार्लय में उपस्थित होवे। इसके उपरान्त परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी सूपुर्द करते हुए परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा एवं श्री दलपतसिंह कनि0 सहायक को परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय जल संसाधन खंड उदयपुर की ओर रवाना किया गया जो समय करीब 2.15 पी.एम. पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये और डिजिटल टेप रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर श्री दलपत सिंह ने

बताया कि ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से रवाना शुदा चेतक सर्किल से आगे जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय के पास पहुॅचे तत्पश्चात् समय करीब 01.15 पी.एम. पर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को सूपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय की और रवाना किया तथा मैं कार्यालय के परिसर में ही एक तरफ मुकीम रहा। समय करीब 01.53 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा मेरे पास आया तथा डिजिटल टेप रिकार्डर मुझे दी जिसे बन्द कर मैंने अपने पास रखी तथा परिवादी ने बताया कि मैने श्री गजेन्द्र जी बाबु जी के पास कार्यादेश जारी करने के बारे में बातचीत करने हेतु गया तो उन्होने साहब से बात करने हेतु कहा जिसके बाद मैं श्री गणपतलाल अधिशाषी अभियन्ता से मिला तो उन्होने मेरी फर्म के नाम पर दोनो कामों के कार्यादेश जारी करने के नाम पर पच्चास हजार रूपये रिष्वत राषि लेना तय हुआ तथा उनकी मांग के अनुसार दस हजार रूपये मैंने अपने स्वयं विवके से उनको देने लगा तो उन्होने रूपये श्री गजेन्द्र जी बाबुजी को देने हेतु कहा जिसके बाद मैं श्री गजेन्द्र जी बाबुजी के कमरे में आया तथा उनसे मेरे कार्यादेश से सम्बन्धित बातचीत की तत्पष्चात् मैंने श्री गणपतलाल अधिषाषी अभियन्ता के कहे अनुसार दस हजार रूपये श्री गजेन्द्र जी बाबुजी को दिये तो उन्होने अपने हाथों से ग्रहण कर अपने पास रख लिये उसके बाद मुझे मेरी फर्म के नाम के दोनों कार्यादेश की प्रतियां दी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया है। परिवादी द्वारा कार्यादेश की फोटो प्रतियां पर अपने हस्ताक्षर कर पेश की गई जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र से भी वार्ता की तो उसने भी श्री दलपत सिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की ताहिद की। परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने बताया कि श्री गणपत शर्मा अधिषाषी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र जी बाबुजी से मांग सत्यापन के दौरान् हुई वार्ता अनुसार शेष रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये दिनांक 30.07.2024 तक लेकर आने हेतु कहा है। परिवादी ने बताया कि मेरे रिष्वत के रूप में दी जाने वाली चालीस हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 29 या 30 जुलाई 2024 तक आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को आवष्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया तथा श्री दलपत सिंह कनि0 सहायक से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पुनः सुरक्षित अलमारी में रखवाया गया था। परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा के अग्रिम टेªप कार्यवाही हेतु पुनः कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पष्चात् दिनांक 25-7-2024 को समय करीब 8.24 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने बताया कि मेरे पास आरोपीगणों को रिश्वत के रूप में देने हेतु चालीस हजार रूपये की व्यवस्था पूरी नही हुई है तथा बताया कि बीस हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है जिसके कारण मैं बीस हजार भारतीय चलन मुद्रा के तथा बीस हजार रूपये चिल्ड्रन नोट (डमी नोट) इस प्रकार से चालीस हजार रूपये देने हेतु ही आगे की कार्यवाही करवाने के लिये ब्यूरो चैकी इन्टें उदयपुर पर दिनांक 29.07.2024 को प्रातः उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई तथा समय करीब 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से हुई दूरभाष वार्ता अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 29.07.2024 को किया जाने से दो स्वतन्त्र गवाहान की दिनांक 29.7.2024 को प्रातः 9.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु आज जरिये पत्रांक 1070 दिनांक 26.07.2024 से श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के लिए रवाना गया किया जो समय करीब 5.00 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आकर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर देवस्थान विभाग, उदयपुर के कार्यालय में पहुच श्रीमान् आयुक्त महोदय को ब्यूरो द्वारा प्रेषित पत्र पेश किया गया। उक्त गवाहान को जरिये दूरभाष नियत समय पर ब्यूरो चैकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पष्चात् दिनांक 29-07-2024 को समय करीब 10.30 ए.एम. पर देवस्थान विभाग उदयपुर से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्रीमती दीपिका मेघवाल हाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव उदयपुर व श्री बंशीधर बुनकर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया व इसी समय करीब 10.35 ए.एम. तलबी शुदा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. भ्र. नि. ब्यूरो एस. यू. उदयपुर उपस्थित आया। तत्पश्चात् दिनांक 29-07-2024 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा की रिपोर्ट दिनांक 18-07-24 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिजिटल टेप रिकाॅर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 18.07.2024 को परिवादी व संदिग्धगण श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र जी बाबु जी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होना बताया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता को लेपटाप में सेव किया जाकर समय करीब 12.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को आरोपीगण श्री गणपत शर्मा

अधिषाशी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र जी बाबु जी जल ससंाधन खण्ड उदयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन) नोट के 40 नोट पेश किये। परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री मूनीर खान हैड कानि. 98 से कार्यालय कक्ष के मालखाने से रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोट व डमी नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा एक सफेद कागज के लिफाफे पर भी दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को कागज के लिफाफे में रखकर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब की तलाशी श्री बंशीधर बुनकर वरिष्ठ सहायक स्वतन्त्र गवाहन से लिवाई जाकर उक्त जेब में हैड कानि. श्री मूनीर खान से कोई शैः नहीं छोडते हुए सफेद कागज का लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई को रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री अजय कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मूनीर खान हैड कानि. की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो लिफाफे पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मूनीर खान हैड कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मूनीर खान हैड कानि. को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मीस का◌ॅल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा श्री मूनीर खान हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 12.40 पी.एम. श्री अजय कुमार कानि. को जरिये मोटरसाईकिल से, श्री सुरेन्द्र बेडा परिवादी को उसके निजी वाहन के साथ श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय जल संसाधन विभाग खण्ड उदयपुर के लिये रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत, श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्रीमती दीपिका मेघवाल व श्री बंशीधर बुनकर मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स सहित जरिये प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से रवाना जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय की ओर रवाना होकर समय करीब 12.45 पी.एम. कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय के पास पहुच कर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को डिजिटल टेप रिकार्डर चालु करने की समझाईश देकर कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खडा करा मन् पुलिस निरीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 01.34 पी.एम. पर परिवादी बिना कोई निर्धारित ईशारा किये हुए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने बताया कि मैं जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय में गया तो श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता के कक्ष में अन्य स्टाफ वाले बैठे थे जिसके उपरान्त मैंने काफी समय तक कार्यालय परिसर में ही बैठा था उसके कुछ समय बाद श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता अपने कक्ष से निकलकर सरकारी गाड़ी से कार्यालय से चले गये थे। तत्पष्चात् समय करीब 2.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो स्टाफ के सदस्य कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय के पास पहुचे परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा को डिजिटल टेप रिका◌ॅर्डर चालु करने की समझाईश देकर कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खडा करा मन् पुलिस निरीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 3.08 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेन देन के

वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकार्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता ने मेरे से उनकी मांग के अनुसार उनके कहने पर श्री गजेन्द्र जी बाबुजी को भारतीय चलन मुद्रा के बीस हजार व चिल्ड्रन नोट बीस हजार कुल चालीस हजार रूपये का लिफाफा दिया जो श्री गजेन्द्र जी बाबुजी ने अपने हाथों से ग्रहण कर अपने टेबल की दराज में रख दिये उसके बाद मैं वहां से निकलकर बाहर आकर काॅल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड उदयपुर में प्रवेश हुए तो कार्यालय परिसर में बने एक कमरे से बाहर निकलते हुए व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री गजेन्द्र जी बाबुजी है जिन्होने अभी-अभी श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता की मांग के अनुसार उनके कहने पर मेरे से उक्त रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये का लिफाफा लेकर अपने टेबल की दराज मे रखे थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा टे्प पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उंकारसिंह जी निवासी राजकीय आवास संख्या 2/2 देवाली उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जल संसाधन खण्ड उदयपुर होना बताया जिसे उसके कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तत्पश्चा्त् कार्यालय में उपस्थित श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को भी डिटेन किया जाना आवश्यक होने से उनके कार्यालय कक्ष से मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान सहित उसके पास पहुचे जहां कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने ईशारा कर बताया कि यही श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता है जिन्होने मेरी फर्म के कार्यादेश दिनांक 18.07.2024 को मुझे देने व आगे के लिये काम करने की एवज में जिनकी मांग के मुताबिक इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये का लिफाफे सहित श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को दिये थे। इस पर इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री गणपत शर्मा पुत्र श्री चतरूलाल शर्मा निवासी गांव चकभाजुपुरा पोस्ट मनोहरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी सरकारी क्वार्टर नीमच माता कालोनी उदयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड उदयपुर होना बताया। इस पर आरोपी श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को अपने साथ लेकर श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश हुए। इस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से उसकी फर्म अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स के नाम हुए टेण्डर का कार्यादेश दिनांक 18.07.2024 को दिया जिसकी एवज में श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता के कहे अनुसार चालीस हजार रूपये जो लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है, के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि गलती हो गई माफ कर दो यह रूपये मैंने मेरे लिये नही लिये बल्कि श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता के कहे अनुसार उनको देने हेतु मैंने लिये थे जो मेरी टेबल की दराज में लिफाफा रखा हुआ है तथा दिनांक 18.07.2024 को भी श्री सुरेन्द्र जी बेडा ने मुझे श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता के कहे अनुसार दिये थे जो भी मैंने लिये थे उसके बाद मैंने उक्त दस हजार रूपये भी श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को दे दिये थे। उक्त रिश्वत राशि के रूपये में मेरा किसी प्रकार कोई हिस्सा नही है। इस पर श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से उसकी फर्म अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स के नाम हुए टेण्डर का कार्यादेश दिनांक 18.07.2024 को दिया जिसकी एवज में तथा आगे काम करने के लिये रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये का लिफाफा श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को देने हेतु कहा है के संबंध में पूछने पर आरोपी श्री गणपत शर्मा ने बताया कि मैंने श्री सुरेन्द्र बेडा से लेबर को पैसे देने हेतु रूपये की मांग कर श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को दिलवाये थे। इस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा ने बताया कि श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता झूंठ बोल रहे है, जल संसाधन खण्ड उदयपुर द्वारा छः माह वर्षा ऋ्तु एवं नहर संचालन हेतु दो कार्य जिसमें प्रथम कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (नगर निगम) निट नम्बर 03/2024 एवं दूसरा कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (यू.डी.ए.) निट नम्बर 03/2024 के लिये आॅन लाईन निविदा आमन्त्रित की गई जिस पर मेरे द्वारा मेरी फर्म के नाम से उक्त दोनों कार्यो के लिये टेण्डर की न्यूनत दर अंकित कर आनलाईन आवेदन किया गया था। जिसके पश्चात् मेरी फर्म मैसर्स अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स के नाम से उक्त दोनों कार्यों का टेण्डर हुआ जिसके पश्चात् मेरे द्वारा जल संसाधन खण्ड उदयपुर में जाकर उक्त दोनों कार्यो के लिये कार्यादेश लेने हेतु श्री गणषत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता से जाकर मिला तो उन्होने मेरे को कहा कि आपको यदि कार्यादेश लेना है और काम करना है तो अभी नब्बे हजार रूपये देने पड़ेंगे इस पर मेरे द्वारा काफी हाथा जोड़ी करने पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.07.2024 को पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग सत्यापन के दौरान् दस हजार रूपये श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता के कहे अनुसार श्री गजेन्द्रसिंह को दिये थे तत्पश्चात् उनके द्वारा मेरी फर्म के नाम का जारी कार्यादेश की प्रतियां

मुझे दी थी इस प्रकार मेरी फर्म के नाम का कार्यादेश देने एवं आगे काम करने की एवज में इनकी मांग के अनुसार शेष चालीस हजार रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा इनके ईशारे अनुसार श्री गजेन्द्रसिंह को दिये थे जो इन्होने लेकर इनके टेबल की दराज में रखा। इस पर श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.07.2024 को परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा से दस हजार रूपये रिश्वत राशि के श्री गजेन्द्रसिंह को दिलवाये तथा श्री गजेन्द्रसिंह के रूबरू स्पष्टीकरण अनुसार दस हजार रूपये श्री गजेन्द्रसिंह द्वारा श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को उसी दिन देना बताया, उक्त रिश्वत राशि दस हजार रूपये के बारे में श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता को पुछने पर अपनी गर्दन नीचे करके चुप रहा तथा कोई भी प्रत्युत्तर नही दिया गया तथा कुछ समय पश्चात् श्री गणपत शर्मा अधिषाषी अभियन्ता ने बताया कि दिनांक 18.07.2024 को श्री गजेन्द्रसिंह ने मेरे को दस हजार रूपये दिये थे जो मेरे खर्च हो गये है। आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह की निशादेही पर उसकी टेबल की तीसरे नम्बर की दराज में से रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये रखे हुआ लिफाफा निकलवाया तो लिफाफे के अन्दर 500-500 रूपये चालीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल बीस हजार रूपये तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन) नोट चालीस कुल बीस हजार रूपये बरामद हुए जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिश्वत राशि के नोट मय लिफाफा सहित टेबल पर सुरक्षित रखवाया गया। प्रकियानुसार आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री अजयकुमार कान्सटेबल से प्राईवेट वाहन में से टेप बाक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर कार्यालय से एक पानी की बोतल भरकर मंगवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क RH1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्म्द सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क LH1 o LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल टेबल के तीसरे नम्बर की दराज का नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बाक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में एक रूई के फूंए को टेबल के तीसरे नम्बर की दराज में स्वतन्त्र गवाह श्री बंशीधर बनकर से घुमाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का रंग परिवर्तित हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क D1 o D2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह की निशादेही पर उसकी टेबल की तीसरे नम्बर की दराज में से रिश्वत राशि चालीस हजार रूपये रखे बरामदशुदा लिफाफा के अन्दर 500-500 रूपये चालीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल बीस हजार रूपये तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन) नोट चालीस कुल बीस हजार रूपये बरामद हुए थे तत्पश्चात् पुनः दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये चालीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल बीस हजार रूपये का मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि भारतीय चलन मुद्रा एवं डमी नोट कुल चालीस हजार रूपये पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। रिश्वत राशि एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर आरोपी को दी गई थी उक्त लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क L अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात् श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता व श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा की फर्म मैसर्स अरूदति माईंस एण्ड मिनरल्स द्वारा छः माह वर्षा ऋ्तु एवं नहर संचालन हेतु दो कार्य जिसमें प्रथम कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (नगर निगम) निट नम्बर 03/2024 एवं दूसरा कार्य सप्लाई एण्ड एरेंजमेन्ट आफ रेसक्यू आईटम एट वेरियस टेंक्स आफ ड्ब्ल्यू आर डिविजन उदयपुर फोर रेनी सिजन 2024 (यू.डी.ए.) निट नम्बर 03/2024 के टेण्डर से सम्बन्धित कार्यादेश एवं रिकार्ड के बारे में पुछने श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बताया कि मेरे कार्यालय कक्ष में टेबल पर उक्त दोनो कार्यो के कार्यादेश व रिकार्ड पड़ा है जिस पर उसके कार्यालय कक्ष की टेबल से उक्त दोनो कार्यो का रिकार्ड मंगवाया जाकर उसकी अलग-अलग फोटो प्रति करवाई गई तो एक कार्य का रिकार्ड पेज संख्या 01 से 13 एवं दूसरे कार्य का रिकॉर्ड पेज संख्या 01 से 20 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उनके अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपीगणों के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को

उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपीगणों ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द बरामदगी श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा टंकन कर तैयार की गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पष्चात् समय करीब 5.50 पी.एम. पर श्री अजयकुमार कानि. को जरिये मोटरसाईकिल से, श्री सुरेन्द्र बेडा परिवादी को उसके निजी वाहन के साथ श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक तथा मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत, श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्रीमती दीपिका मेघवाल व श्री बंशीधर बुनकर मय लेपटोप व प्रिन्टर, जब्तशुदा रिश्वत राशि, सिलचिट शीशियां, ट्रेप बाॅक्स, श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सहित जरिये प्राईवेट वाहन से जल संसाधन खण्ड उदयपुर से रवाना ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर के लिये समय करीब 6.00 पी.एम. पर श्री अजयकुमार कानि. को जरिये मोटरसाईकिल से, श्री सुरेन्द्र बेडा परिवादी को उसके निजी वाहन के साथ श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक तथा मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत, श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्रीमती दीपिका मेघवाल व श्री बंशीधर बुनकर मय लेपटोप व प्रिन्टर, जब्तशुदा रिश्वत राशि, सिलचिट शीशियां, ट्रेप बाक्स, श्री गणपत शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, श्री गजेन्द्रसिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सहित जरिये प्राईवेट वाहन से जल संसाधन खण्ड उदयपुर से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर उपस्थित आये। तत्पष्चात् उक्त कार्यवाही की मांग सत्यापन वार्ता एवं लेन देन वार्ताओं की फर्द फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पृथक-पृथक से तैयार की जाकर षामिल कार्यवाही की गई। दोनो आरोपीगणों को उनके किये जुर्म से आगाह किया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री गणपत शर्मा पुत्र श्री चतरूलाल शर्मा निवासी गांव चकभाजुपुरा पोस्ट मनोहरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी सरकारी क्वार्टर नीमच माता कालोनी उदयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ताजल संसाधन खण्ड उदयपुर एवं श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उंकारसिंह जी निवासी राजकीय आवास संख्या 2/2 देवाली उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जल संसाधन खण्ड उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर वैध पारिषमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज् में परिवादी श्री सुरेन्द्र बेडा के की फर्म अंरूदती माईन्स एवं मिनरल्स के नाम हुए टेण्डर में कार्यादेश जारी करने एवं आगे काम करने की एवज् में दिनांक 18.7.2024 को मांग सत्यापन के दौरान 10,000 रूपये ग्रहण करना एवं दिनांक 29.07.2024 को 40,000 रूपये के नोट जिसमें 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 20,000 रूपये के डमी नोट कुल 40,000 रूपये एक कागज के सफेद लिफाफे से ग्रहण करने पर जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 61(2) बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस 2023 . - में आरोपीगण 1. श्री गणपत शर्मा पुत्र श्री चतरूलाल शर्मा निवासी गांव चकभाजुपुरा पोस्ट मनोहरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी सरकारी क्वार्टर नीमच माता कॉलोनी उदयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड उदयपुर एवं 2. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उंकारसिंह जी निवासी राजकीय आवास संख्या 2/2 देवाली उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जल संसाधन खण्ड उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस0यू0 उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 226 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 825-28 दिनांक 31.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 मुख्य अभिंयता जल संसाधन विभाग जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे, उदयपुर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/07/2024 18:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)